रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 80] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 28, 1984/फाल्गुन 9, 1905

No. 80] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 28, 1984/PHALGUNA 9, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1984

का०आ० 122(अ)—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार बैंक आफ बड़ौदा के अनुरोध पर 23-2-84 से गुजरात राज्य में सूरत-भरूच ग्रामीण बैंक के नाम से एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है जो कि गुजरात राज्य के सूरत और भरूच जिलों की स्थानीय सीमाओं में कार्य करेगा।

[सं० एफ० 1-10/83 आर० आर० बी० (I)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 27th February 1984

S.O. 122(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government, on being requested so to do by Bank of Baroda establishes, with effect from the 28-2-1984 a Regional Rural Bank in the State of Gujarat under the name of Surat-Bharuch Gramin Bank which shall operate within the local limits of the Districts of Surat and Broach in the State of Guiarat.

[No. F. 1-10/83-RRB(I)]

का०आ० 123(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा सूरत-भरूच ग्रामीण बैंक के प्रायोजक बैंक आफ बड़ोदा से परामर्श करके, भरूच को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है। जहां पर सूरत भरूच ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[संख्या एफ० 1-10/83 आर०आर०बी० (II)]

S.O. 123 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government, after consultaion with the Reserve Bank of India and Bank of Baroda by which Surat-Bharuch Gramin Bank has been sponsored specifies Broach as the place where Surat Bharuch Gramin Bank shall have its head office.

[No. F 1-10/83-RRB(II)]

का०आ० 124(अ).—भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के उप-खंड (III) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा उक्त उपखण्ड के प्रयोजनों के लिए, सूरत-भरूच ग्रामीण बैंक, भरूच को प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (I) के अन्तर्गत स्थापित एक संस्था के रूप में अधिसूचित करती है।

[संख्या एफ० 1-10/83 आर०आर०बी० (III)]

S.O. 124 (E).—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) the Central Government hereby notifies, for the purpose of said sub-clause, Surat-Bharuch Gramin Bank, Branch being an institution established under sub-section (1) of Section 3 of the Regional Rural Bank Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F. 1-10/83-RRB(III)]

का०आ० 125(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एम०एस० पटेल को सूरत-भरूच ग्रामीण बैंक का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 28-2-84 से प्रारम्भ होकर 28-2-1987 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री एम०एस० पटेल अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ० 1-10/38 आर०आर०बी० (IV)]

अशोक चन्द्रा, संयुक्त सचिव

S.O. 125(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government hereby appoints Shri M. S. Patel as Chairman of the Surat-Bharuch Gramin Bank, Broach and specifies the period commencing on the 28-2-1984 and ending with the 28-2-1987 as the period for which the said Shri M. S. Patel shall hold office as such chairman.

[No. 1-10/83-RRB(IV)]

ASHOK CHANDRA, Jt. Secy.

भारतीय रिज़र्व बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

(ग्रामीण आयोजना का ऋण विभाग)

अधिसूचना

बम्बई, 28 फरवरी, 1984

का०आ० 126(अ)—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा 6 के खण्ड (क) के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को समाविष्ट किया जाए, अर्थात :—

"सूरत-भरूच ग्रामीण बैंक, भरूच (गुजरात)"

[आर०पी०सी०डी० संख्या 275/आई०एन०सी०एल०/311-83]

टी० एन० अनन्तराम अय्यर, कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

(Rural Planning Credit Department)

Bombay, the 28th February, 1984

NOTIFICATION

S.O. 126(E).—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank namely :—

"Surat-Bharuch Gramin Bank, Broach (Gujarat)".

[Ref. RPCD. No. 275/INCL/311-83]

T. N. ANANTHARAM IYER, Executive Director

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984